रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 1974/ज्येष्ठ 9, 1896

No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 1974/JYAISTHA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th May 1974

SUBJECT.—*Import policy for the period April 1974—March 1975—Production of consumption statement.*

No. 73-ITC(PN)/74.—Attention is invited to para 23 of Section I of the I.T.C. Policy Red Book (Vol. I) for the period April, 1974—March, 1975, in terms of which actual users are requested to submit import applications accompanied by statement of consumption etc. in the prescribed proforma duly certified by a Chartered Accountant/Cost Accountant (in practice)/sponsoring authority (in the case of SSI Units) as provided in the policy.

2. It has been noticed that in some cases, the Chartered Accountants have certified consumption value of imported raw materials and components by taking the "current" c.i.f. prices instead of taking the c.i.f. prices at which the imports were actually made.

3. The matter has been examined. It is clarified that where the consumption certificate in which the C.I.F. value of imported inputs has been calculated at the current C.I.F. prices instead of the C.I.F. prices at which imports were actually made, such a certificate shall be considered defective and incomplete and applications in such cases will be liable for rejection.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 मई, 1974

विषय :—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात नीति,—उपभोग विवरण पत्र प्रस्तुत करना ।

स०: 73—आई०टी०सी० (पी०एम०)/74.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०—1) के खण्ड—1 के पैरा 23 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं से सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल (व्यवसायी)/प्रायोजक प्राधिकारी (लघु उद्योग एककों के मामले में) द्वारा विधिवत् प्रमाणित निर्धारित प्रपत्र में उपभोग के विवरण पत्र आदि के साथ आयात आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया गया है ।

2. यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मामलों में जो लागत—बीमा-भाड़ा कीमतें आयातों के लिए वास्तव में चुकाई गई थीं उनके बजाय सनदी लेखापालों ने वर्तमान लागत-बीमा-भाड़ा कीमतों को ध्यान में रखते हुए आयातित कच्चे माल और संघटकों का उपभोग मूल्य प्रमाणित किया है ।

3. मामले की जांच की गई है । यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस उपभोग प्रमाण पत्र में जिन लागत-बीमा-भाड़ा कीमतों पर वास्तव में आयात किया गया था उन कीमतों के बजाय वर्तमान लागत-बीमा-भाड़ा कीमतों पर आयातित माल का लागत—बीमा-भाड़ा मूल्य गिना गया है उनको मांगपत्रों को त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण समझा जाएगा और ऐसे मामलों में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जायेंगे ।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974